न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 102/2023

वादिया

1. श्रीमति पार्वती देवी पुत्री बुधाराम पत्नी लक्ष्मणकुमार जाति सरगरा निवासी सरगरों का बास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मनोहरराम पुत्र बुधाराम
2. सुरेश पुत्र बुधाराम
3. प्रियंका पुत्री बुधाराम
4. लिछमी पुत्री बुधाराम
5. श्रीमति शान्ति देवी पत्नी बुधाराम जातियान सरगरा निवासीगण सरगरों का बास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थितिः–वादीग की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्ध ऐकपक्षीय कार्यवाही
प्रतिवादी सं. 6 – सरकारी पेरोकार।

निर्णय **दिनांकः**–31/07/2

संक्षेप में मामलें के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक सं. 3 तहसील बिलाडा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4315/11 रकबा 15 बीघा स्थित संयुक्त खातेदारी की थी। बुधाराम जी के दो पुत्र मनोहरराम, सुरेश तथा पुत्री प्रियंका ,लिछमी, पार्वतीदेवी तथा पत्नी श्रीमति शांतिदेवी है खातेदार बुधाराम जी का देहान्त दिनांक 22.01.2015 को हो गया। इस कारण उपरोक्त खातेदारी भूमि का वादी के पिता बुधाराम जी का फौतेदगी नामान्तरकरण सं. 7778 दिनांक 22.05.2015 को स्वीकृत किया गया। उसमें वादी का लिपीकीय भूलवश या त्रुटिवश पारूदेवी नाम लिख दिया, जबकि वादी का वास्तविक नाम पार्वतीदेवी है। वादी को घर में लाड प्यार से पारूदेवी पुकारते है। और वादी का सरकारी दस्तावेज आदि में उसका नाम पार्वतीदेवी लिखा हुआ है। जब वादी के पिता बुधाराम जी का देहान्त हुआ उस समय फौतेदगी नामान्तरकरण में भूलवश या त्रुटिवश वादी का नाम पारूदेवी लिखवा दिया, जबकि वादी का सरकारी दस्तावेजों के अनुसार उसका वास्तविक नाम पार्वतीदेवी है। वादी पारूदेवी एवं

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

पार्वतीदेवी एक ही औरत है तथा विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने विवादग्रस्त भूमि दावे के पद सं. 1 की खातेदारी के विरूद्ध तहसीलदार या अन्य किसी के न्यायालय में कही कोई आपति, ऐतराज या अपील , रिवीजन आदि पेश नहीं की है। वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में पारूदेवी नाम लिख देने से वादी न तो अपनी भूमि पर ऋण ले सकती है तथा न ही कोई सरकारी सहायता प्राप्त कर सकती है। और न ही अपनी खातेदारी भूमि का बैचान कर सकती है।

अतः प्रार्थना वादी का यह कि दावा वादी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक सं. 3 तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 4315/11 रकबा 2.4270 हेक्टयर के राजस्व रेकर्ड में पारूदेवी पुत्री बुधाराम के स्थान पर पार्वती देवी पुत्री बुधाराम की घोषित की जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज गलत नाम पारूदेवी के स्थान की दुरूस्ती की जाकर उसके स्थान पर पार्वतीदेवी का नाम रेकर्ड में दर्ज करने का आदेश फरमावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के नोटिस बाद तामिल पेश हुए। प्रतिवादी सं. 1 से 5 की तरफ से कोई उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । प्रतिवादी सं. 6 सरकारी पैरोकार द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाडा चक 3 के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2076 से 2079 में खाता सं. 164 में खसरा नम्बर 4315/11 रकबा 2.4270 हैक्टयर किस्म बा.तृतीय में पारूदेवी पुत्री बुधाराम हि. 1/24 जाति सरगरा सा.देह खातेदार वगैरा रेकर्ड में दर्ज है। खातेदार बुधाराम पुत्र ढगलाराम के फौत होने पर नामा. सं. 7778 के जरिये मनोहरराम, सुरेश पुत्र बुधाराम, लिछमी, पारूदेवी, प्रियंका पुत्री बुधाराम शांतिदेवी पत्नी बुधाराम जाति सरगरा दर्ज हुआ। वादिया द्वारा साक्ष्य के रूप में सरकारी दस्तावेज आधार कार्ड, राशनकार्ड, जनआधार कार्ड इत्यादि प्रस्तुत अपना नाम पर्वतीदेवी होना बताया। पद सं 4 व 5 का जवाब वादी स्वयं साबित करें। पद सं. 6 से 9 कानूनी है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम बिलाडा चक नं.3 के ख.नं. 4315/11 रकबा 2.4270 हैक्टयर के राजस्व रेकर्ड में पारूदेवी पुत्री बुधाराम के स्थान पर पार्वतीदेवी पुत्री बुधाराम की दुरूस्ती राजस्व रेकर्ड में किये जाने की रिपोर्ट पेश है। प्रतिवादी की ओर से दावा को स्वीकार करने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादिया ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया जिसें शामिल पत्रावली किया गया। वादिया की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र श्रीमति पार्वती देवी पुत्री बुधारमा पत्नी लक्ष्मणराम का पेश किया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाडा

वादिया की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खसरा नम्बर 4315/11 ग्राम बिलाडा चक 3 , प्रदर्श 2 नामान्तरकरण सं. 7778, प्रदर्श 3 आधार कार्ड श्रीमति पार्वतीदेवी,

प्रदर्श 4 बैंक डायरी श्रीमति पार्वती देवी, प्रदर्श 5 परिवार राशन कार्ड श्रीमति पार्वतीदेवी, प्रदर्श 6 पहचान पत्र श्रीमति पार्वती देवी, प्रदर्श 7 जनआधार कार्ड श्रीमति पार्वती देवी के प्रदर्शित करवाये गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादिया ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्श 1 आधार कार्ड पार्वती देवी पत्नी लक्ष्मणकुमार, प्रदर्श 2 परिवार राशन कार्ड पार्वती देवी पत्नी लक्ष्मण कुमार, प्रदर्श 3 जनआधार कार्ड पार्वती देवी पत्नी लक्ष्मण कुमार, प्रदर्श 4 पहचान पत्र पार्वती देवी पत्नी लक्ष्मण कुमार, 5 राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैक डायरी पार्वती देवी आदि पेश किये। इन सम्पूर्ण दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह विदित होता है कि वादिया के सरकारी दस्तावेजात में वादिया का नाम पार्वती देवी पत्नी लक्ष्मण कुमार दर्ज किया हुआ है, लेकिन राजस्व रेकर्ड में वादिया का नाम पारूदेवी पुत्री बुधाराम के नाम से दर्ज है। वादिया अपनी खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त करने की कार्यवाही नही कर पा रहा है, इस कारण वादिया के राजस्व रेकर्ड में अपना नाम पार्वती देवी पुत्री बुधाराम पत्नी लक्ष्मण कुमार की घोषणा कराने की अधिकारी है। साथ ही भूमिधारी ने पारूदेवी पुत्री बुधाराम के स्थान पर पार्वती देवी पुत्री बुधाराम किये जाने की रिपोर्ट पेश की है। इसलिए वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नम्बर 4315/11 रकबा 2.4270 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में पारूदेवी पुत्री बुधाराम के स्थान पर पार्वती देवी पुत्री बुधाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/7/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा
व इजलास **मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.**

वादिया

श्रीमति पार्वती देवी पुत्री बुधाराम पत्नी लक्ष्मणकुमार जाति सरगरा निवासी सरगरों का बास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. मनोहरराम पुत्र बुधाराम
2. सुरेश पुत्र बुधाराम
3. प्रियंका पुत्री बुधाराम
4. लिछमी पुत्री बुधाराम
5. श्रीमति शान्ति देवी पत्नी बुधाराम जातियान सरगरा निवासीगण सरगरों का बास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 102/2023

निर्णय दिनांक :– 31/07/24

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 6 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया जाकर ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा नम्बर 4315/11 रकबा 2.4270 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड में पारूदेवी पुत्री बुधाराम के स्थान पर पार्वती देवी पुत्री बुधाराम की घोषणा की जाती है। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक –की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा